

बंदी मुलाकात हेतु आवेदन पत्र

1. हवालाती / मियादी बंदी का नाम
2. पिता का नाम
3. मिलने वाले का नाम
4. मिलने वाले का पता
5. मोबाईल / फोन नम्बर
6. बंदी से रिश्ता
7. मिलने का विवरण
8. मिलने वाले का आधार कार्ड की
छायाप्रति संलन करें
9. मुलाकात पर हवालाती बंदियों को
दी जाने वाली चप्पल एवं निजी वर्षों का विवरण.....

नोट: जेल मुख्यालय म.प्र. भोपाल द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 44 / वारन्ट/16. दिनांक 09 दिसम्बर 2016 के पालन में मुलाकातियों द्वारा बंदियों को दिये जाने वाली सामग्रियों पर पूर्णतः रोक लगाई जा चुकी हैं। मात्र विचारधीन बंदियों को 06 माह में एक बार, एक जोड़ चप्पल एवं दो जोड़ कपड़े दिये जा सकते हैं।

दिनांक: / /202

आवेदक के हस्ताक्षर